न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी, (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री हरि राम मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
08/2018	FSS ACT	04.07.2018	14.2.2024

1. श्री नरेश कुमार चेजारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर

—आवेदक

बनाम

1. श्री गोविन्द गर्ग पुत्र हज़ारी लाल गर्ग (मौके पर विक्रेता एंव फर्म मालिक) मैसर्स जी.एम.बी. मिष्ठान भण्डार, माल गोदाम रोड़, झूले लाल मंदिर के पास सिंधी कॉलोनी गंगापुर सिटी

—अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांक 14.2.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नरेश कुमार चेजारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) न्याय निर्णयन आवेदन पेश किया गया कि आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 28.10.2015 को लगभग 03:30 पीएम पर मैसर्स जी.एम.बी मिष्ठान भण्डार माल गोदाम रोड़ गंगापुर सिटी पर पहुंचा वहा पर गोविन्द गर्ग पुत्र हजारी लाल गर्ग (मौके पर विक्रेता एंव फर्म मालिक, निवासी झूले लाल मंदिर के पास सिंधी कॉलोनी गंगापुर सिटी उपस्थित था, को मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया दुकान में खाद्य पदार्थ मावा, बरफी, मिल्क केक एंव लड्डू आदि का निर्माण कर विक्रय हेतु प्रदर्शित की गई थी। विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ मावा/बरफ़ी (मावा, चीनी एवं इलायची से निर्मित) स्टील की तीन ट्रे में कुल लगभग 20 किलोग्राम दुकान की रैक में रखे हुये थे मानक स्तर का नही होने का शक होने पर मेरे द्वारा विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन/खाद्य अनुज्ञा पत्र की प्रति मांगी विक्रेता द्वारा खाद्य रजिस्ट्रेशन की प्रति मौके पर प्रस्तुत की। विक्रेता की उपस्थिति में नमूना वास्ते जांच लेने की सूचना फार्म नं0–5 अ की प्रति स्वतंत गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ मावा बरफी (मावा, चीनी एवं इलायची से निर्मित) के 02 किलोग्राम वास्ते जांच नमूना हेतु क्रय कर राशि 480 रूपये नकदी चुका कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है, उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक 'खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गय मावा बरफी (मावा, चीनी एवं इलायची से निर्मित) को चार बराबर भागों में बांट कर चार शिशियो में भरकर 40– बूंदे फार्मिलिन की डालकर अच्छी तरह से बंद कर मैरे द्वारा चार लेबल तैयार किये गये, जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेट कर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक एच–731 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपका कर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म संख्या 06 की प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म नम्बर 06 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्र वाहक कैलाश चन्द वाहन चालक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करा कर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई जो कि आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बंद नमूना भाग मय फार्म संख्या 06 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बंद कर तथा नमूना का चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की प्रति के डी ओ (मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर) को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2015/3319 दिनांक 19.11.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं0 एलएस/एवट/2015/1814 दिनांक 06.11.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा बारते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा बरफी (मावा, चीनी, इलाईची, से निर्मित) साब स्टेण्डर्ड पाया गया (**SUB-Standerd**) पाया गया है। जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्रांक एफएसएसए/2015/3319 दिनांक 19.11.2015 की पालना में श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2016/1435 दिनांक 31.05.2016 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। यह कि उक्त प्रकरण में उपर अंकित अभियुक्त ने सब स्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ मावा बरफी का निर्माण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(ii) का उल्लघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान की समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाये।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया गया। अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित।द अभियुक्त ने अपना पक्ष रखते हुए जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। अभियुक्त ने अपने जवाब में निवेदन किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त एक शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति है जो स्वरोजगार हेतु सिंधी कॉलोनी गंगापुर सिटी में हलवाई की छोटी सी दुकान करता है इसके अलावा अन्य कोई कार्य प्रार्थी/अभियुक्त के पास नही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान पर आकर कई खाली कागजों पर बिना कुछ बताये पुलिस का भय दिखाकर हस्ताक्षर करवा लिये जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थी/अभियुक्त से जो मावा बरफी ली उसका कोई भुगतान नही किया ना ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मावा बरफी विक्रय की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थी की दुकान से जो मावा बरफी ली उसे जिन शिशियों में भरा उन्हें मौके पर साफ नही किया ना ही प्रार्थी के सामने शिशियों की कोई पैकिंग की उक्त प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कई नियमों की अवहेलना कि है प्रार्थी ने कोई मिलावट नही की है इस कारण उक्त कार्यवाही ड्राप किये जाने योग्य है।

बहस अधिवक्ता अभियुक्त सुनी गई। बहस के दौरान वकील अभियुक्त ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अभियुक्त के विरूद्ध उक्त प्रकरण आवेदक की नाजायज मांग की पूर्ति न करने के कारण गलत तरीके से बनाया है। आवेदक ने अभियुक्त को पुलिस का भय दिखाकर कई खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिये और उन कागजों का दुरूपयोग करते हुये गलत कार्यवाही अभियुक्त के विरूद्ध की गई है जबकि आवेदक ने अभियुक्त के ना तो किसी फार्म पर हस्ताक्षर कराये ना ही किसी फर्द पर हस्ताक्षर कराये, ना ही कोई फर्द या दस्तावेज पढकर सुनाया। गलत तरीके से खाली हस्ताक्षरयुक्त पेपरों का दुरूपयोग करते हुये उक्त प्रकरण बनाया गया है जिस प्रकरण की कार्यवाही इसी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

आधार पर ड्रोप किये जाने योग्य है। अभियुक्त गरीब व्यक्ति है तथा उक्त कार्य कर अपना और अपने परिवार का पेट पालन करता है अभियुक्त द्वारा उक्त कार्य बहुत ही छोटे स्तर पर किया जाता है। अतः नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण को ड्रॉप फरमाए जाने हेतु निवेदन किया है।

हमारे द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली मे संलग्न STATE CENTERAL PUBLIC HELTH LABORATORY जयपुर की REPORT NO -LS.3175/ACT/2015/1814 DATE 06-11-2015 का अवलोकन किया गया उक्त रिपोर्ट निम्नानुसार हैः—

"Opinion- The sample of "**MAWA BURFI (PREP. IN MAWA, SUGAR AND ELAICHI)** Code No. **H-731 OF DESIGNAATED OFFICER CUM TH CHIEF MEDICAL HELT OFFICER SAWAI MADHOPUR IS SUB STANDERD AS DOES NOT MEET TO THE PRESCRIBED STANDARD AND PROVISIONS OF FOOD SAFETY AND STANDARED (FOOF PRODUCT STANDARED AND FOOD ADDDITIVE) REGULATION 2011**

उक्त रिपोर्ट के मुताबिक मावा बरफी (मावा, चीनी एवं इलायची से निर्मित) का सेम्पल **SERIAL NO. H-731[SUB-STANDARED]** पाया गया है।

अभियुक्त द्वारा सब स्टैण्डर्ड (SUB-STANDARED) कृति की खाद्य वस्तु निर्माण व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। अभियुक्त द्वारा अंकित कथनों के संबंध में कोई स्वतंत्र साक्ष्य पेश नहीं किया है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जबाव व पत्रावली के अवलोकन से प्रतित है कि आवेदक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध की गई कार्यवाही उचित है। अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत की गई अनियमितता के लिए सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अभियुक्त को 20,000/—(अक्षरे बीस हजार रूपये मात्र) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 14.02.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी